भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

S.T.-S.T.O.
2 9 SEP 2012
E 086118
Sub. Treasury Sakaldiha
Chandauli

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सेना झंडा दिवस
... - 7 DECEMBER
...D FORCES FLAG DAY

विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 30/11/2012 को संतोष कुमार सिंह पुत्र कन्हैया ई, निवासी–ग्राम–चौधी, पो०–पुरैया, तहसील–सकलडीहा, जिला–चन्दौली (उ०प्र०) द्वारा स्थापित किया गया, जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कहा जायेगा। न्यासकर्ता/ संस्थापक रु० 5,100/– (रुपये पाँच हजार एक सौ मात्र) की राशि सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा रखते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि से अप्रति संहरणीय चैरिटेबुल न्यास (Irrevocable Charitable Trust) बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज कल्याण एवम् विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा और यह ट्रस्ट 'विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट' के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे कि आगे ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से जिसमें दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवम् साधनों को और बढ़ाए ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

संतोष कुमार सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AA 521620

(2)

और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुसार रु0 5,100/- (रुपये पाँच हजार एक सौ मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चल-अचल सम्पत्ति न्यास में नहीं है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय प्लाट नं0 300, ग्राम-कैथी, पो0-पुरेरा, जिला-चन्दौली ([illegible]) होगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार लिपिबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

शिक्षा चैरिटेबुल ट्रस्ट :

उद्देश्य एवं नियमावली :

(A) ट्रस्ट के उद्देश्य :-

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों प्रशिक्षण केन्द्रों, संरक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उन्मूलन केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं सरकार/शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

[illegible] कुमार सिंह